UPRN010037672026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी०एक्ट) रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0–377/2026

कुंवर सिंह .....बनाम.....संजय आदि

अं०धारा–173(4) BNSS

थाना–रसूलाबाद, कानपुर देहात।

दिनांक–05.08.2026

1– प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र अं०धारा–173(4) BNSS मय शपथपत्र विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने एवं विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी द्वारा अपने आवेदनपत्र में इस आशय का अभिकथन किया गया है कि दिनांक–17.06.2026 को समय करीब शाम 4:30 बजे प्रार्थी का नाबालिग पुत्र राममोहन उम्र लगभग 10 वर्ष व भाई रोहित सिंह एक साथ ग्राम–मनावा में बटाई के खेत पर खडी फसल चरी काटने गये थे। तभी उपरोक्त ग्राम–मनावा के संजय व मोना पुत्रगण–राममोहन व संजय की पत्नी महिमा तिवारी हाथो में लाठी–डण्डो व सरिया लेकर गाली–गलौज करते हुए प्रार्थी के पुत्र राममोहन व भाई रोहित को जाति सूचक गालियाँ देते हुए कहा कि साले बहेलिया तेरी कोटेदार का खेत बटाई पर लेने की हिम्मत कैसे हो गयी और तू साले चरी क्यो काट रहा है। प्रार्थी के भाई व पुत्र ने गाली देने से मना किया तो उपरोक्त लोग एकराय होकर लाठी–डण्डो व सरिया से बुरी तरह प्रार्थी व उसके भाई को मारने–पीटने लगे जिससे प्रार्थी के पुत्र के कान मे गम्भीर चोट आई जिससे उसे सुनाई नहीं पड़ रहा है, इसके अतिरिक्त पैर व पीठ में भी गम्भीर चोटे हैं, जबकि प्रार्थी के भाई के सीने में गम्भीर चोट है। उपरोक्त सभी लोग प्रार्थी के पुत्र व भाई को चरी के खेत में घसीट–घसीट कर मारते–पीटते रहे। प्रार्थी का पुत्र व भाई किसी प्रकार से वहाँ से जान बचाकर भागने लगे तो उपरोक्त लोगों ने धमकी दी कि अबकी बार इस खेत पर आ गये तो जान से मार देगे। प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना उसी दिन दिनांक–17.06.2026 को थाना प्रभारी निरीक्षक रसूलाबाद, कानपुर देहात को दी जिस पर थाना पुलिस द्वारा जी०डी० सं० 55 पर दर्ज कर मजरूब को चिकित्सीय परीक्षण हेतु सी०एच०सी० रसूलाबाद, कानपुर देहात भेजा, जहाँ पर हालत गम्भीर होने के कारण मजरूब को जिला अस्पताल माती अकबरपुर रिफर कर दिया, जहाँ उनका मेडिकल परीक्षण हुआ, जिसमे चोटे गम्भीर प्रकृति की पायी गई। जिससे पूर्णतया साबित होता कि अभियुक्तगणो द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी एवं मेडिकल रिपोर्ट से भी संज्ञेय अपराध साबित होने के उपरान्त भी थाना पुलिस द्वारा प्रार्थी का मुकदमा दर्ज नही किया गया। थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर प्रार्थी ने एक शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांक–20.06.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात को प्रेषित किया, किन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नही की गई। प्रार्थी अपने परिवार की सुरक्षा हेतु अत्याधिक परेशान है। उपरोक्त लोग दंबग किस्म के लोग है, प्रार्थी को आंशका है कि उक्त संजय आदि लोग प्रार्थी व उसके परिवारीजनो साथ कोई अन्य अप्रिय घटना कारित कर सकते है। तद्नुसार प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर, कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

Digitally signed by PRABHA NATH TRIPATHI
Date: 2026.08.05 15:42:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची से आधार कार्ड की प्रति, डाक रजिस्ट्री रसीद की प्रति, चिकित्सीय प्रपत्र व परिवार रजिस्टर की नकल पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है।

4– प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार उक्त प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

6– प्रार्थनापत्र के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण पर उसके पुत्र व भाई के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज व मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। प्रार्थी को घटना की पूर्ण जानकारी है, जिसे वह मौखिक साक्ष्य से साबित कर सकता है। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007(59) ए०सी०सी० पृष्ठ सं.739 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था रमेश भाई पाण्डूराव बनाम गुजरात राज्य ए०आई०आर० 2010(SC) 1877** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था में दिये गये दिशा निर्देशों व थाने की आख्या को दृष्टिगत रखते हुए मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दिनांक–08.09.2026 को पेश हो। विपक्षीगण को नियमानुसार नोटिस नियत तिथि के लिए जारी हो।

(प्रभा नाथ त्रिपाठी)
I.D.No– UP06288
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)एक्ट,
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।